

परिपत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अराजपत्रित सवर्ग के कर्मचारी लम्बे समय से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने पर ड्यूटी पर लेने के प्रकरण एवं स्वेच्छक अनुपस्थित दौरान मृत्यु पश्चात मृतक आश्रित के पद पर नियुक्ति/अन्य परिलाभ हेतु प्रकरण निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं जबकि स्वेच्छा से अनुपस्थित अवधि का निस्तारण संबंधित अधिकारी द्वारा समय पर नहीं होता है जिससे कर्मचारियों के प्रकरणों का निस्तारण करने में परेशानी आती है अतः आपके अधीन कितने अराजपत्रित कर्मचारी लम्बे समय से स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे हैं कि सूचना 7 दिवस में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें एवं उन प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही भी तुरंत संपादित करें।


- 52 -
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / सामान्य / परिपत्र / 2019 / 208

दिनांक - 28/8/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, (जनस्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान।
5. समस्त प्रधानाचार्य, एव नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय राजस्थान।
6. समस्त अधीक्षक, सलग्न चिकित्सालय संघ समूह राजस्थान।
7. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-राजस्थान।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
10. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
11. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।